

FORM-I
(for linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the Collector Dakshin Bastar Dantewada

No 2076 /Reader/2016

Dantewada Dated 18/05/2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **16.832** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer EHT (Maint.) Dn. Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited ,Bhilai for Construction of 132 KV DCSS Transmission line from 220/132 KV Substation Barsoor to proposed 132/33 KV Substation Bijapur in Bijapur district falls within jurisdiction of Upet, Purantarai, Nagphani, Faraspal Bodli, Fundri villages in Geedam Tehsil.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **16.832** hectares of forest area proposed for division. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (A) to annexure (C).
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl:- As above



(Saurabh Kumar)
Collector
Dakshin Bastar Dantewada
Chhattisgarh

ग्राम सभा उधेर की बैठक दिनांक 24/11/16 का कार्यवाही विवरण

ग्राम उधेर
स्थान उधेर

आज दिनांक 24/11/16 को ग्राम उधेर के सरपंच श्री/श्रीमती श्रीमती गजरा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के गजरा सदस्य गजरा प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम उधेर में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 3.736 हे. वन भूमि 1.325 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 5.061 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार सं गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 कै0वी0 बारसूर-बीजापुर पारेशन लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 3.736 हे. वन भूमि/ 1.325 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 5.061 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

गजरा
सांचव
ग्राम पंचायत उधेर
जनपद पंचायत गीर

हस्ताक्षर गजरा
ग्राम पंचायत उधेर
ना गजरा
सरपंच उधेर
सील

ग्राम सभा कोरलापाल की बैठक दिनांक 20-08-15 का कार्यवाही विवरण

ग्राम नागकुती

स्थान कोरलापाल

आज दिनांक 20-08-15 को ग्राम कोरलापाल नागकुती के सरपंच श्री/श्रीमती निवेस वर्मा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम नागकुती में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग ७० रा० वि० पारे० कं० मर्या० भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ४.०० हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल ४.०० हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 कें० वी० बरसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ४.०० हे. वन भूमि/ — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ४.०० हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग ७० रा० वि० पारे० कं० मर्या० भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


सचिव
ग्राम पंचायत कोरलापाल
जनपद पंचायत गीदम


सरपंच
ग्राम पंचायत कोरलापाल
जनपद पंचायत गीदम
जिला द.व. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

सरपंच.....

ग्राम सभा नि० - 20-08-2015 में
पाठित

सील

ग्राम सभा बोदली की बैठक दिनांक 23/01/16 का कार्यवाही विवरणग्राम बोदली / फुफ्फूरी
स्थान बोदली पंचायतआज दिनांक 23/01/16 को ग्राम बोदली के सरपंच श्री/श्रीमती श्रीमती लाला की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 13 सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम बोदली / फुफ्फूरी में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0-53 हे. वन भूमि 3-241 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 3-771 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0डी0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	<u>बोदली</u>	/	/
02	<u>फुफ्फूरी</u>	/	/

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0-53 हे. वन भूमि/3-241 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 3-771 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सरपंच सरपंच


 23/01/16
 सरपंच बोदली
 पंचायत

ग्राम पंचायत बोदली
 ज.सं.स. पंचायत गी.स.प.

दिनांक - 24/01/16

ग्राम - उपेट / पुरवतवाडी

उपस्थित सदस्य गण
क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1. श्री दोदास कदम

दोदा कदम

2. श्री दामोदर कदम

दामोदर

3. श्री लक्ष्मण कदम

लक्ष्मण कदम

4. श्री दुर्गा कदम

दुर्गा

5. श्री सया राव

6. श्री रामनिध कदम

रामनिध

7. श्री मदननिध

मदननिध


सचिव
ग्राम पंचायत उपेट
जनपद पंचायत पीठ


सरपंच
ग्राम पंचायत उपेट
जनपद पंचायत पीठ (छ.प.)



दिनांक 20/8/15

ग्राम - वाजफली, स्थान - केरलापाल

उपस्थित सदस्य गण क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
1.	लक्ष्मण	लक्ष्मण
2.	मांझी	मांझी
3.	मुन्नाराम	मुन्नाराम
4.	रामकृती	रामकृती
5.	दुर्गामन	दुर्गामन

ग्राम - बोदली / फुण्डी , त्पान - बोदली पंचायत

दिनांक - 23-01-2016

उपस्थित सदस्य गण क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर / अंगुठा निशान
1.	श्री सोनाराम	
2.	-1- चेलु कर्मा	-1- चेलु कर्मा
3.	-1- सोनाराम	सोनाराम सोनाराम
4.	-1- संपन्न बोडियाम	
5.	-1- धनराज	
6.	-1- शाशाशाम	
7.	-1- मोटूराम	मोटूराम
8.	-1- लक्ष्मण	लक्ष्मण
9.	-1- मुन्ना	
10.	-1- राजुराम	
11.	-1- महादेव	महादेव
12.	-1- लक्ष्मण	लक्ष्मण
13.	-1- सुधराम	सुधराम

“छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत कसब मुक्त
केन्द्र मुक्त (विना कसब टिकट) के
द्वारा 22 अक्टूबर, कमांक 30,
1-22-छत्तीसगढ़ राजपत्र/38 दि.से.
दिनांक 30-08-2001”



पञ्जीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/मुन/09/2012-2015”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

राजपुर, अंगलखार, दिनांक 21 जनवरी 2014—भाग 1, कस 1935

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/1114/मु.अ./2014—यह अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूचों में उल्लिखित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तित करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यथा: छत्तीसगढ़ राजपत्र, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 4-137/सत-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहसंश्लिष्ट धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदीबद्ध अधिकारियों की उचितता अपेक्षाकारकों में विहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रयुक्त उक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, उल्लिखित अधिसूचना द्वारा यह कि नीचे अनुसूचों के कॉलम (2) में उल्लिखित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होना, अर्थात् :-

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल कसबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	घटवारी हस्ता संंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.	चडेना	647.250	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन पूर्व-नेटापुर पश्चिम-आरक्षितवन	88	चडेना	दन्तेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
----	-------	---------	--	----	-------	------------	----------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	नेटापुर	281.500	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-बंदेनार	09	नेटापुर	इन्नेबाड़ा	दक्षिण बस्तर रन्नेबाड़ा
		575.475	उत्तर-बासोली दक्षिण-आरक्षितवन एवं बीजापुर मार्ग पूर्व-कारली पश्चिम-मोफलनार, मुठीली	10	कासोली	गीदम	--"--
		658.089	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-छोटपाल पूर्व-परपा पश्चिम-आरक्षितवन एवं ग्राम नागफनी	11	रोजे	गीदम	--"--
5.	कोरखंडी	1142.960	उत्तर-आरक्षितवन एवं मठिर नाला दक्षिण-आरक्षितवन पूर्व-आरक्षितवन एवं मठिर नाला पश्चिम-आरक्षितवन	12	द्विदपाल	गीदम	--"--
6.	नागफनी	308.710	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-रोजे पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-बोहलपाल	12	उपेट	गीदम	--"--
7.	पुरनाराई	598.547	उत्तर-उपेट दक्षिण-आरक्षितवन पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-आरक्षितवन	12	उपेट	गीदम	--"--
8.	मादुपाल	432.228	उत्तर-पहाड़ी दक्षिण-बहानाला पूर्व-पहाड़ी एवं बस्तर जिला पश्चिम-कटुलनार	15	कटुलनार	गीदम	--"--

कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर रन्नेबाड़ा

South Bastar Dantewada, the 20th January 2014

NOTIFICATION

No. 1314/L. II/2014 — Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee South Bastar Dantewada under the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dt under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersig

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of scheduled below, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Chandesar	647.250	North-Reserve forest South-Reserve forest East-Netapur West-Reserve forest	09	Chandesar	Dantewada	South Bastar Dantewada
2.	Netapur	281.500	North-Reserve forest South-Reserve forest East-Reserve forest West-Chandesar	09	Netapur	Dantewada	"-
3.	Budhapadar	575.475	North-Kasoli South-Reserve forest & Bijapur Road. East-Karli West-Mofalnar, Gutoly	10	Kasoli	Geadam	"-
4.	Jodatari	653.089	North-Reserve forest South-Ghotpal East-Parpa West-Reserve forest & Village Nagfany.	11	Ronje	Geadam	"-
5.	Korkoti	1142.960	North-Reserve forest & Mander Nala. South-Reserve forest East-Reserve forest & Mander Nala. West-Reserve forest	12	Hidpal	Geadam	"-
6.	Nagphani	208.710	North-Reserve forest South-Ronje East-Reserve forest West-Korlapal	12	Upet	Geadam	"-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Parasnari	698,547	North-Upet South-Reserve forest East-Reserve forest West-Reserve forest	12	Upet	Goodam	South Bastar Dantewada
	Badna	422,278	North-Reserve forest South-Badnala East-Reserve forest West-Kanulnar	15	Kanulnar	Goodam	7.

Collector,
District South Bastar
Dantewada.

FORM-I
(for linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Bijapur

No. 1199

Dated 16/05/2016


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 55.587 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer EHT (Maint.) Dn. Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited ,Bhilai for Construction of 132 KV DCSS Transmission line from 220/132 KV Substation Barsoor to proposed 132/33 KV Substation Bijapur in Bijapur district falls within jurisdiction of Dhusawad, Tindodi, Karremarka, Matwada, Jangla, Bardela, Gadamali & Mingachal village (s) in Bhairamgarh Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 55.587 hectares of forest area proposed for division. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (1) to annexure (8).
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl:- As above


(Dr. Ayyaj Tamboli)

Collector
District-Bijapur



ग्राम सभा धुसाव की बैठक दिनांक 24/01/2016 कार्यवाही विवरणग्राम धुसावस्थान पार. शाखा

अब दिनांक 24/01/2016 को ग्राम धुसाव के सरपंच श्री/श्रीमती सोमराम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 05 सदस्य 55 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम धुसाव में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ 0 रा 0 वि 0 पारे 0 कं 0 मर्या 0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 3.556 हे. वन भूमि 0.739 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 4.295 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के 0 व्ही 0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
01	<u>धुसाव</u>	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 3.556 हे. वन भूमि / 0.739 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 4.295 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ 0 रा 0 वि 0 पारे 0 कं 0 मर्या 0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

साचेव
ग्राम पंचायत वि.ख.भैरमगढ़
जिला-बीजापुर (छ ग.)

हस्ताक्षर सरपंच
नाम सोमराम
सरपंच

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक


नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1. चिन्ताराम

चिन्ताराम

2. पंडित



3. मनीराम



4. लक्ष्मण

लक्ष्मण

5. सोमडू



	10
--	----

महाराष्ट्र राज्य सरकार
 शिक्षण विभाग
 (१०) मुंबई-४००००५

ग्राम टिण्डोडी
स्थान कैरमरका पंचायत क्षेत्र

आज दिनांक 25/01/16 को ग्राम कैरमरका के सरपंच श्री/श्रीमती सोमा देवजाम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 06 सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम कैरमरका में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 मिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु — हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल — हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0व्ही0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मं.)
01)	<u>कैरमरका टिण्डोडी</u>	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि — हे. वन भूमि / — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग — हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 मिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

[Signature]
सचिव
ग्राम पंचायत टिण्डोडी
जनपद पंचायत कैरमरका (छ.ग.)

[Signature]
सरपंच
नाम प्रसाद मार टिण्डोडी
जनपद पंचायत कैरमरका
सरपंच टिण्डोडी

सील

ग्राम सभा करैमरुमा की बैठक दिनांक 25/01/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम करैमरुमा
स्थान पंचायत गवन

आज दिनांक 25/01/2016 ग्राम करैमरुमा के सरपंच श्री/श्रीमती श्रीमती श्रीमती की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 10 सदस्य 80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम करैमरुमा आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 16.524 हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल 16.524 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0वी0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	<u>करैमरुमा</u>	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 16.524 हे. वन भूमि / — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 16.524 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत करैमरुमा
वि.ख. भैरमगढ़
जिला- बीजापुर (छ.ग.)




हस्ताक्षर सरपंच
नाम श्रीमती श्रीमती
सरपंच करैमरुमा

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर/अंगुठा निशान

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 1. | सोमाराव |  |
| 2. | बुडू |  |
| 3. | विजय | विजय |
| 4. | राजेश |  |
| 5. | सोनकू | सोनकू |
| 6. | गनकू | गनकू |
| 7. | के.एस.वि.ए. | के.एस.वि.ए. |
| 8. | राजेश | Rajesh |
| 9. | चामणवि.ए. | चामणवि.ए. |
| 10. | सोमाराव | सोमाराव |

मैंने यह प्रमाणित किया कि उपरोक्त सूची में सूचीबद्ध सदस्यों की उपस्थिति का प्रमाण है।

सचिव
 अध्यक्ष
 (P. No. 1/2024-25)

ग्राम माटवाडा
स्थान राजीव गांधी सेवा केंद्र

आज दिनांक 23/01/16 को ग्राम माटवाडा के सरपंच श्री/श्रीमती सुबकुमार लोका की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 10 सदस्य 80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम माटवाडा में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु — हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल — हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0व्ही0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	<u>माटवाडा</u>	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि — हे. वन भूमि / — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग — हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सुबकुमार लोका
सचिव
ग्राम पंचायत माटवाडा
वि.सू. भैरमगढ़
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर सुबकुमार लोका
नाम ग्राम पंचायत माटवाडा
सरपंच सुबकुमार लोका
सील

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
1.	पंडरुमाडनी	पंडरु
2.	लक्ष्म वारसा	लक्ष्म
3.	लालाराम	लालाराम
4.	सुब्रह्मण्यराम	सुब्रह्मण्यराम
5.	शंकर वेटी-	शंकर
6.	बुधराम	बुधराम
7.	सुरवराम	सुरवराम
8.	आयडु	आयडु
9.	चोर	चोर
10.	मोतीराम	मोतीराम



महाराष्ट्र
राज्य सरकार
अर्थ विभाग
(१००) अर्थ विभाग-१

ग्राम जांगला

स्थान भारत निगम राजीव गांधी सेवा योजना

आज दिनांक 23/01/16 को ग्राम जांगला के सरपंच श्री/श्रीमती सुश्री सुधाकर देव की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 12 सदस्य 90% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम जांगला में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ 0 रा 0 वि 0 पारे 0 कं 0 मर्या 0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.147 हे. वन भूमि 6.90 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 7.047 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से महन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के 0 व्ही 0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.147 हे. वन भूमि / 6.90 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 7.047 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ 0 रा 0 वि 0 पारे 0 कं 0 मर्या 0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

Bejnaram
सरपंच
ग्राम पंचायत जांगला
जनपद पंचायत भैरमगढ़
जिला बीजापुर (छ.ग.)

सचिव
इससभापंचायत-जांगला
जनपद पंचायत भैरमगढ़
मिस्त्रा-बीजापुर (छ.ग.)
सरपंच

सील

ग्राम जांगला

स्थान भारत निम्न राजम भेरी केवावे-5

आज दिनांक 23/01/16 को ग्राम जांगला के सरपंच श्री/श्रीमती सुख सुधा (म.प.प.) की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 12 सदस्य 9.6% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम जांगला में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.147 हे. वन भूमि 6.90 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 7.047 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से महन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0व्ही0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.147 हे. वन भूमि / 6.90 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 7.047 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सरपंच
ग्राम पंचायत जांगला
जनपद पंचायत भेरमगढ़
जिला बीजापुर (छ.ग.)

सचिव
 वनसंरक्षण पंचायत-जांगला
 जनपद पंचायत भेरमगढ़
 जिला बीजापुर (छ.ग.)
 सरपंच

सील

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान


1. गनीराम - अ' गनीराम
2. सुविजय सुविजय
3. रामलाल रामलाल
4. बुधधाम बुधधाम
5. भैरुधाम भैरु


(6) सुविजय पौडीपानि सुविजय

(7) दशक कुंभ 

(8) पादु वेगे 

(9) गंगलू लेला 

(10) लक्ष्मी 


(11) स्वामी 

(12) पादु 

(13) गंगलू राध 

(14) भादु पद 

(15) गंग 

(16) भादु पद 

संस्थापक

ग्राम पंचायत जांगला
जनपद पंचायत भैरमगढ़
जिला बीजापुर (छ.ग.)

संस्थापक
संस्थापक
(सं.सं.)

ग्राम सभा करदेला की बैठक दिनांक 23/01/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम करदेला
स्थान करदेला

आज दिनांक 23/01/2016 को ग्राम करदेला के सरपंच श्री/श्रीमती कुशरी कृष्णाम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 52 सदस्य 55 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम करदेला मावेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 क0 मर्या0 मिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 23.784 हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल 23.784 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0व्ही0 बारसूर-बीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 23.784 हे. वन भूमि / — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 23.784 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 क0 मर्या0 मिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

Copy
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बडेदुगाडी
विश्व वैरागढ
जिला, बीजापुर (अ.प्र.)




हस्ताक्षर.....
नाम करदेला
ग्राम पंचायत बडेदुगाडी
सरपंच, विश्व वैरागढ

सील

उपस्थित सदस्य गण
क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

- | | | |
|---|---------------|--|
| ① | श्रीमति सुकनी |  |
| ② | श्री सुधराम | सुधराम |
| ③ | धनीराम | - Dhuni |
| ④ | राकेश | Rakesh |
| ⑤ | सोनकू | सोनकू |
| ⑥ | दशराम |  |
| ⑦ | सुराराम | सुराराम |
| ⑧ | चमराम |  |
| ⑨ | त्रिला | त्रिला |
| ⑩ | मुन्ना | मुन्ना |
| ⑪ | बबलर |  |
| ⑫ | सुरेश | Suresh |
| ⑬ | भास्कर |  |

ग्राम सभा गदामली की बैठक दिनांक 23/2/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम गदामली
स्थान गदामली

आज दिनांक को ग्राम गदामली के सरपंच श्री/श्रीमती नित्याराम रेग्म की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 18 सदस्य 80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम गदामली में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ० रा० वि० पारे० कं० मर्या० भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु हे. वन भूमि ०.५९२ हे. राजस्व वन भूमि, कुल ०.५९२ हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के० व्ही० बारसूर-बीजापुर परेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
	<u>ग्राम गदामली</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि — हे. वन भूमि / ०.५९२ हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ०.५९२ हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ० रा० वि० पारे० कं० मर्या० भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

नित्याराम रेग्म
हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत गदामली
जनपद भरमगढ़
सरपंच

ग्राम सभा गदामली की बैठक दिनांक 24/2/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम मिंगाचल

स्थान मिंगाचल

आज दिनांक 24/2/2016 को ग्राम मिंगाचल के सरपंच श्री/श्रीमती चिन्ना रामतेलम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 20 सदस्य 100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम मिंगाचल में आवेदक कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 3:345 हे. वन भूमि — हे. राजस्व वन भूमि, कुल 3:345 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के0व्ही0 बारसूर-दीजापुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यवितगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	<u>ग्राम-मिंगाचल</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 3:345 हे. वन भूमि/ — हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 3:345 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ0 रा0 वि0 पारे0 कं0 मर्या0 भिलाई को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम मिंगाचल
जन. सं. पंचायत गदामली

हस्ताक्षर चिन्ना राम
सरपंच
ग्राम पंचायत गदामली
जनपद पंचायत
सरपंच.....

सील

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1. पाण्डू राम कुडियम

पाण्डू

2. सुफ्त कुरसाम

सुफ्त

3. श्यामल कुरसाम

श.गि

4. राम कलभूम

राम

5. मंगू कलभूम

मंगू

निर्वाहक
सचिव
विभागाध्यक्ष
आयुक्त

सचिव

सचिव

// अधिसूचना //

दिनांक 17/01/2014

क्रमांक/790/रीडर/2013- यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बीजापुर के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।


और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नं०	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	गोरना	199.583	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-208 ग्राम परिहारपारा दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-233, 234 ग्राम मनकेली पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-206 ग्राम मनकेली पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-208, 232	35	मनकेली	बीजापुर	बीजापुर
02	इसुलनार कोकरा	411.137	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-250 दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-254(पी), 258(पी) पूर्व-ग्राम बोड़लापुसनार आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-256(पी), 257(पी) पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-253(पी), 254(पी)	35	मनकेली	बीजापुर	बीजापुर
03	मनकेली	680.000	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-235, 236 दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-247 पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-243, 245 पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-247, 248	35	मनकेली	बीजापुर	बीजापुर
04	नेण्डा	481.826	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-291, 296 दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-288, 300	32	तोडका	बीजापुर	बीजापुर

			पूर्व-आरक्षित वनखण्ड, कक्ष क्रमांक-286, 287 पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-288, 289				
05	इडेनार	424.295	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-320 ग्राम पेदापाल दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-311 पूर्व-आरक्षित वनखण्ड, कक्ष क्रमांक-321 पश्चिम-ग्राम निरगानघोटुल, पीड़िया आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-310, 313	32	तोड़का	बीजापुर	बीजापुर
06	डुमीर पालनार	253.671	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-347 दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड-344 एवं दंतेवाड़ा वनमण्डल पूर्व- दंतेवाड़ा वनमण्डल पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-344, 346, 347	30	बुरजी	बीजापुर	बीजापुर
07	कावड़ गांव	203.126	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-365(पी) दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-339(पी) पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-368(पी) पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक- 370(पी)	30	बुरजी	बीजापुर	बीजापुर
08	एडसमेटा	290.574	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-375, पी-377, पी-378 दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-294, 316 पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-318 पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-294	30	बुरजी	बीजापुर	बीजापुर
09	हिरोली	1044.668	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-362, 363 दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-346, 367 पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-346, 348, 350 पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-363, 364, 365, 367	30	मेटापाल	बीजापुर	बीजापुर
10	एसामंगी	300.359	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-86, पी-87, पी-88 दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-82, पी-83 ग्राम कोमपल्ली पूर्व-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-85 पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-113	8	कोम पल्ली	भैरमगढ़	बीजापुर
11	मिनगावल	301.500	उत्तर-मिनगावल नदी दक्षिण-नाला एवं ग्राम नैमेंड पूर्व-ग्राम मिनगावल पश्चिम-ग्राम कुएनार, कोमला	13	गदानली	भैरमगढ़	बीजापुर

12	वरभा	875.110	दक्षिण-ग्राम ककुलतार, डाट पट्टना पूर्व-मिनगाचल नदी पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-58, 59, 61	8	वरभा	भैरमगढ़	बीजापुर
13	बरदेला	175.606	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-65 एवं जांगला नाला दक्षिण-दंतेवाड़ा वनमण्डल पूर्व-दंतेवाड़ा वनमण्डल पश्चिम-ग्राम जैवारांम एवं नारंगी क्षेत्र कक्ष क्रमांक-1081	13	बड़े तुंगली	भैरमगढ़	बीजापुर
14	टिण्डोड़ी	1001.000	उत्तर-ग्राम डालेर दक्षिण-ग्राम धुसावड़ पूर्व-ग्राम भटवाड़ा पश्चिम-ग्राम बेलचर, दारमेर	12	टिण्डोड़ी	भैरमगढ़	बीजापुर
15	कोतरा पाल	255.920	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-1972(पी) दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी- 1970(पी) पूर्व-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी- 1974(पी) पश्चिम-ग्राम जांगला	12	माटवाड़ा	भैरमगढ़	बीजापुर
16	आदिगुड़ा पल्लैवाया	241.929	उत्तर-ग्राम फुंडरी, संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-1991(पी) दक्षिण-ग्राम फुलादी, संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-1943, 1946(पी) पूर्व-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी- 1944(पी) पश्चिम-ग्राम पौंदुम पातरपारा संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-1991 (पी)	10	चिनगेर	भैरमगढ़	बीजापुर
17	रामपुरम	152.597	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-पी-835 दक्षिण-चिंतावागू नाला पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-833 एवं चिंतावागू नाला पश्चिम-इन्द्रावती नदी	7	गोला गुड़ा	भोपालपटनम्	बीजापुर
18	आईपेटा	545.325	उत्तर-नाला एवं ग्राम एंगपल्ली दक्षिण-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-523 एवं ग्राम जिनिप्पा पूर्व-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-521, ग्राम जिनिप्पा, संकनपल्ली पश्चिम-आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक-565, 566, 567	22	लंका पल्ली	उसूर	बीजापुर


 कलेक्टर
 जिला-बीजापुर (छोगो)